भारत सरकार
जनजातीय कार्य मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या †2351
उत्तर देने की तारीख 08.07.2019

गोरखाओं को जनजातीय दर्जा

†2351. श्री राजू बिष्टः :

क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का 11 गोरखा जनजातियों को जनजातीय दर्जा देने का विचार है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में स्थिति क्या है;
(ग) सिक्किम सरकार, पश्चिम बंगाल और अन्य सभी राज्यों जहां गोरखाओं की अच्छी-खासी आबादी है के साथ परामर्श के पश्चात मंत्रालय के अंतर्गत जांच के लिए गठित समिति द्वारा की गई सिफारिशों की स्थिति क्या है; और
(घ) इस मुद्दे पर सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

उत्तर

जनजातीय कार्य राज्य मंत्री
(सुश्री रेणुका सिंह सरूता)

(क), (ख) तथा (घ) : भारत सरकार ने दिनांक 15.06.1999 को (दिनांक 25.06.2002 को पुनः संशोधित) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की सूची को विनिर्दिष्ट करने वाले आदेशों में समावेशन, से अपवर्जन हेतु दावे निर्धारित करने तथा अन्य संशोधनों का निर्माण करने के लिए प्रविधियां अनुमोदित की हैं | इन प्रविधियों के अनुसार केवल उन प्रस्तावों पर विधान के संशोधन के लिए विचार किया जाता है जिसे संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन द्वारा न्यायोचित माना जाता है एवं इसकी सिफारिश की जाती है तथा जिसपर भारत के महापंजीयक (आरजीआई) तथा राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (एनसीएसटी) द्वारा सहमति प्राप्त हो |

प्रस्तावों पर इन अनुमोदित प्रविधियों के अनुसार सारी कार्रवाई की जाती है।

(ग) : समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी जो जिसे ओआरजीआई की टिप्पणियों के लिए भेजी गई थी। ओआरजीआई ने यह टिप्पणी की है कि उक्त समिति की रिपोर्ट राज्य की अनुसूचित जनजातियों की सूची में किसी समुदाय के समावेशन के संबंध में भारत सरकार द्वारा अनुमोदित प्रविधियों के क्षेत्र से परे है।

*****